:– GST पंजीयन प्रक्रिया एक नजर में :–

पंजीयन अवधि 30.11.2016 से 15.12.2016

<u>झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत मौजूदा सभी **PAN Validated** व्यवसायी</u>

दिनांक 01.04.2017 से प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली लागू होनी है। सभी मौजूदा निबंधित व्यवसायियों (वैट/मनोरंजन कर/विलासिता कर) को GST के अन्तर्गत migrate किया जाना है। GST में निबंधित किये जाने के पूर्व सभी वर्तमान निबंधित व्यवसायियों को स्वयं ही GST के अधीन पंजीयन कराना अनिवार्य है। **GSTN द्वारा निर्धारित समय के अनुसार पंजीयन कार्य केवल दिनांक 30.11.2016 से दिनांक 15.12.2016 के बीच ही अनिवार्य रूप से सम्पन्न किया जाना है।** GST के अन्तर्गत सभी पंजीयन कार्य Online किया जाना है अतः पंजीयन भी Online ही होगा।

यदि Digital Signature / E-Signature नहीं भी है तो भी Online आवेदन Submit करना अनिवार्य है।

<u>चरण–1</u>

<u>पंजीयन के पूर्व किए जाने वाले कार्य</u>

जी0एस0टी0 कॉमन पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया करने के पूर्व सभी निबंधित व्यवसायियों के पास निम्नलिखित सूचनाओं एवं कागजातों का होना अतिआवश्यक है :–

(क) <u>सूचनाएँ (**Information**)</u>

- अपने प्रतिष्ठान का सही वैध ई–मेल आई.डी.
- अपने प्रतिष्ठान का सही मोबाइल नम्बर
- अपने प्रतिष्ठान का वर्त्तमान बैंक खाता संख्या
- अपने प्रतिष्ठान का बैंक आई.एफ.एस.सी.(IFSC) कोड

(ख) <u>कागजात (**Documents**)</u>

क्र0 सं0	कागजातों का विवरण	फाइल साइज फॉरमेट	अधिकतम स्वीकृत साइज
1.	व्यवसाय के प्रकार से संबंधित साक्ष्य • पार्टनरशिप के मामले में – पार्टनरशिप डीड • अन्य मामलें में–	पीडीएफ या जेपीईजी	1 एमबी

	व्यवसायिक प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण पत्र जो किसी अन्य राजकीय संस्था द्वारा जारी किया गया है।		
2.	प्रमोटर्स / पार्टनर्स / एचयूएफ कर्त्ता का फोटो	जेपीईजी	100 केबी
3.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता बनाये जाने का साक्ष्य	पीडीएफ या जेपीईजी	1 एमबी
4.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का फोटो	जेपीईजी	100 केबी
5.	बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ / बैंक एकाउंट स्टेटमेंट का वह पृष्ठ– जिसपर खाता संख्या, बैंक शाखा का पता, खाताधारक का पता एवं कतिपय ट्रांजेक्शन विवरण दर्ज हो	पीडीएफ या जेपीईजी	1 एमबी

नोटः– उपरोक्त वर्णित कागजातों के अपलोड होने में कठिनाई उत्पन्न होने पर इंटरनेट कनेक्टिविटी, फाइल का साइज एवं फॉरमेट की जांच कर लें।

चरण–2

GST के अधीन पंजीकरण करने की प्रक्रिया :–

दिनांक 30.11.2016 से 15.12.2016 को किये जाने वाले कार्य

1. www.jharkhandcomtax.gov.in पर VAT के अन्तर्गत वर्त्तमान आई0डी एवं पासवर्ड के साथ लॉग–इन करें।
2. इस पर उक्त अवधि में जी0एस0टी0 का लिंक स्वतः पॉप–अप करता दिखेगा, उसे क्लिक (Click) करें। यहां आपको GST हेतु औपबंधिक आई0डी0 एवं पासवर्ड मिलेगा।
3. इस आई0डी0 एवं पासवर्ड से जी0एस0टी के कॉमन पोर्टल www.gst.gov.in पर लॉग–इन करें। स्क्रीन पर एक फार्म स्वतः दिखायी देगा। ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करते हुए इसे Submit करें।
4. आपके मोबाईल एवं ई–मेल पर अलग–अलग (Separate) दो One Time Password (OTP) प्राप्त होंगे।
5. दोनो Separate OTP को फार्म पर अलग–अलग यथा स्थान अंकित कर दें।
6. इसे submit करने के पश्चात् GST हेतु अपना स्थायी User name एवं पासवर्ड बनाने का निर्देश प्राप्त होगा, इसे बनायें।
7. अब अपने User name एवं पासवर्ड से www.gst.gov.in पर लॉग–इन करें तथा पंजीयन आवेदन (Enrolment Application) के Menu पर जाएँ।
8. पंजीयन आवेदन में कुल आठ विभिन्न टैब (Tab) हैं। ये टैब व्यवसाय की प्रकृति, साझेदार, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता , मुख्य–व्यवसाय–स्थल, अतिरिक्त–व्यवसाय–स्थल, वस्तुओं / सेवाओं

आदि सूचनाओं के साथ भरे जाने से संबंधित है। अंतिम टैब वेरीफिकेशन/घोषणा से संबंधित है।

9. सभी टैब के भरने के अंतराल में अलग–अलग 'Save & Continue' बटन को क्लिक (Click) करते जाना है।
10. इन टैब में विभिन्न सूचनाओं को भरने के साथ कतिपय कागजातों की स्कैन कॉपी तथा फोटोग्राफ को भी अपलोड करना होगा। Scanned Copy एक निश्चित फॉर्मेट एवं खास साईज में कागजात एवं फोटोग्राफ अपलोड होगें।
11. गैर कम्पनी व्यवसायियों के मामले में पंजीयन आवेदन को फिलहाल बगैर डिजिटल/ई–हस्ताक्षर के भी जमा (Submit) किया जा सकता है।
12. यदि आपने सही विवरण एवं कागजात अपलोड किया है तो सफलतापूर्वक Submit होने के उपरांत आपको एक यूनिक आवेदन रेफेरेन्स संख्या (ARN) आपके माबाईल एवं ई–मेल आई0डी पर स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा तथा पोर्टल पर आपका स्टेटस ''माइग्रेटेड'' के रूप में प्रदर्शित होगा। भविष्य में जी0एस0टी से संपर्क इसी ARN संख्या से स्थापित किया जा सकेगा। अतः इसे सुरक्षित रखें।
13. इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में अपने संबंधित अंचल कार्यालय अथवा वाणिज्य कर **हेल्पडेस्क न0 –0651–6600500, helpdesk@jharkhandcomtax.gov.in** से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
14. कृपया सभी कॉलम सावधानी पूर्वक भरें, अच्छी तरह जांच कर लें और तभी Submit का बटन दबाएँ, क्योंकि कोई भी संशोधन 01.04.2017 के पूर्व संभव नहीं है।
15. तत्काल E-Signature कार्यरत नहीं है अतः डिजिटल हस्ताक्षर वाले Submit बटन में बिना Digital Signature/ E-Signature के ही Submit कर दें।

    बिना Digital Signature/ E-Signature के आवेदन दाखिल करने के पश्चात एक Acknowledgment आयेगा जिसमें लिखा होगा '' Your Application has been saved as Draft and will be available for submission after dully Authenticating i.e by submitting it again with E-Signature or Digital Signature Certificate.''

    You can access the saved application in '' My Saved Application''

    तात्पर्य यह ही आपका आवेदन विधिवत् जमा हो गया है।